संख्या: 61/2020/1972/12-2-2020-बजट.4/2016

प्रेषक,

अनिल ढींगरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 दिसम्बर, 2020

विषय: नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: एस-कैम्प 171/ने0क्राप-इन्श्यो 9/2020-21 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 तथा पत्र संख्या: एस-कैम्प 178/ने0क्राप-इन्श्यो 9/2020-21 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 450.00 करोड के सापेक्ष रूपये 350.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 450.00 करोड के सापेक्ष रूपये 350.00 करोड (रूपये तीन अरब पचास करोड मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020 एवं 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का उत्तरदायित्व रहेगा।

2. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

संख्या:61/2020/1972(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/आय-व्ययक-1/2/कृषि अनुभाग-5
8. गार्ड फाईल।

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।